न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 19/2012

आर.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या 2012/00228

| प्रार्थी:– | बनाम | अप्रार्थीगण :– |
|---|---|---|
| 1 सोहनसिंह पुत्र लालसिंह दत्तक पुत्र बालूसिंह कौम राजपुरोहित निवासी मालपुरिया कलां तहसील सोजत | | 1 राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार सोजत<br>2 मृतक बालुसिंह पुत्र रणजीतसिंह के का0मु0<br>2.1 कंचन कंवर पुत्री बालुसिंह पत्नी अनोपसिंह कोम राजपुरोहित निवासी पुनायता तहसील पाली<br>2.2 सुगन कंवर पुत्री बालुसिंह पत्नी अमरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ढाबर, तहसील रोहट |

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री चन्द्रप्रकाश सिंघानिया, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2.1 से 2.2

–: निर्णय :–

दिनांक 31/01/2019

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित कराने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम मालपुरिया कला के गत खसरा नम्बर 260 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 335, 336 तथा गत खसरा नम्बर 319 एवं 320 व खसरा नम्बर 321 के नये खसरा नम्बर 414 बने। इसी प्रकार गत खसरा नम्बर 71 व 72 के हाल खसरा नम्बर 120 बने है। उक्त भूमि पूर्व राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज थी, जिसे मृतक बालुसिंह पुत्र रणजीतसिंह ने हल्का पटवारी से मिलकर अपने नाम नामान्तरकरण संख्या 2 के जरिये अपने नाम दर्ज करवा दी। उक्त नामान्तरकरण भी सरपंच द्वारा स्वीकृत किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। सरपंच को धारा 15 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं था। अतः ग्राम मालपुरिया कला के नामान्तरकरण संख्या 2 पर सरपंच ग्राम पंचायत सुरायता द्वारा पारित स्वीकृति आदेश को अपास्त कराने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जावे।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र मे कथन किया कि प्रार्थी द्वारा बद्नियतिपूर्वक विधि की प्रक्रिया का दुरूपयोग कर रहा है। कथित प्रार्थी ने अपने को अप्रार्थी संख्या 2/1 के पिता बालुसिंह का कथित गोदपुत्र बताकर बालुसिंह को प्राप्त अधिकारों को विवादित किया है। प्रथम दृष्टया ही बदनियतिपूर्ण कार्यवाही होना स्पष्ट है। प्रार्थी द्वारा नामान्तरकरण की स्वीकृति दिनांक भी अंकित नहीं की है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 2 दिनांक 19.05.1961 को स्वीकृत हुआ है, जिसको 51 वर्ष से अधिक अवधि के पश्चात चुनौती दी गई है। किसी भी विधि के तहत अधिकतम समय सीमा ही 3 वर्ष एवं वाद के लिए भी अधिकतम समय सीमा 12 वर्ष ही है। कोई कारण, कोई आधार कथित रूप से 51 वर्ष की लम्बी अवधि की देरी के सम्बन्ध में नहीं बताई गई है। जिससे प्रथम दृष्टया ही यह प्रकरण समयावधि पारित होने से पोषणीय नहीं है एवं खारिज किये जाने योग्य है। इस सम्बन्ध में सुस्थापित विधि है कि ऐसे प्रकरण में अधिकतम समयावधि 3 वर्ष ही होती है। बालुसिंह के नाम से नामान्तरकरण संख्या 2 दिनांक 19.05.1961 को स्वीकृत किया गया, उसके पश्चात बालुसिंह फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 201 दिनांक 25.04.1999 द्वारा खम्माकंवर, कंचन कंवर एवं सुगनकंवर के नाम से दर्ज किया गया। उसके पश्चात खम्माकंवर फौत होने पर कंचन कंवर एवं सुगनकंवर के नाम नामान्तरकरण संख्या 360 दिनांक 22.06.2011 को स्वीकृत किया गया है। इन नामान्तरकरणों के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। राज्य सरकार द्वारा अपने राजपत्र संख्या एफ.8(185)रेवेन्य बी/47 दिनांक 11.09.1957 के जरिये समस्त प्रकार के नामान्तरकरण स्वीकृत करने के अधिकार ग्राम पंचायत को दिये गए थे, जिसमें धारा 15 व 19 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान करने के नामान्तरकरण भी सम्मिलित थे। तत्समय प्रचलित विधि के अनुसार तहसीलदार को नामान्तरकरण स्वीकृत करने की अधिकारिता नहीं थी। इसी भूमि को लेकर प्रार्थी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत के समक्ष वाद भी प्रस्तुत किया, जो वाद संख्या 41/2011 सोहनसिंह बनाम कंचन कंवर व अन्य था। प्रार्थी के पिता लालसिंह द्वारा भी वाद प्रस्तुत किया, जो वाद संख्या 40/2011 लालसिंह बनाम कंचनकंवर है। प्रार्थी स्वयं के विवादों के लिए प्रक्रिया का दुरूपयोग कर रहा है। जब यह प्रकरण प्रस्तुत किया, उस समय उक्त भूमि सुगनकंवर के नाम दर्ज ही नहीं थी। सुगनकंवर द्वारा अपने हिस्से की भूमि गिरधारीसिंह व इन्द्रसिंह को हस्तान्तरित की जा चुकी थी, जिसका नामान्तरकरण संख्या 362 दिनांक 05.07.2011 को स्वीकृत किया जा चुका था। प्रार्थी द्वारा इन्हे पक्षकार ही नहीं बनाया गया है। इस कारण भी प्रार्थना पत्र खारिज़ योग्य है।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण में मुख्य रूप से जो तथ्य प्रकट हुए है, उनके अवलोकन से निम्न विधिक बिन्दु उद्भूत होते है – (1) क्या प्राईवेट पक्षकार रेफरेन्स करने हेतु समक्ष है ? (2) क्या सरपंच द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु नामान्तरकरण

स्वीकृत किया जा सकता है ? इन बिन्दुओं पर पत्रावली के अवलोकन से जो स्थिति स्पष्ट होती है, उसका विवेचन निम्नानुसार है –

(1) क्या प्राईवेट पक्षकार रेफरेन्स करने हेतु समक्ष है ?

यह विधिक बिन्दु है, इस सम्बन्ध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 को रेखांकित किया जाना आवश्यक है, जिसका उद्धरण इस प्रकार है कि ''आयुक्त या बन्दोबस्त आयुक्त, निदेशक या कलक्टर, अपने अधीनस्थ किसी राजस्व न्यायालय अथवा अधिकारी द्वारा विनिश्चय किसी भी मामले या की गई कार्यवाहीयों का अभिलेख पारित आदेश की वैधता अथवा औचित्य तथा कार्यवाहियों की नियमितता के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोगार्थ मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा और यदि उसकी राय हो कि ऐसे अधीनस्थ न्यायालय या अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहीयां या पारित आदेश को फेरफार कर रद्द करना, या उलट दिया जाना चाहिये, तो वह उस मामले को उस पर अपनी राय के साथ यदि वह मामला न्यायिक प्रकार का है या बन्दोबस्त से संबंधित है, तो आदेशार्थ बोर्ड को या यदि वह मामला बन्दोबस्त से सम्बन्ध में नहीं रखने वाला इतर न्यायिक प्रकार का है तो राज्य सरकार को निर्देशित करेगा और बोर्ड अथवा राज्य सरकार यथास्थिति उस पर ऐसा आदेश पारित करेगी, जो वह उचित समझे। इस धारा के अधीन यह भी देखा जाना है कि प्रकरण में किन्ही पक्षकारां के बीच नामान्तरकरण के विवाद के आधार पर रेफरेन्स किया जाना न्यायोचित है अथवा नहीं ? जहां तक रेफरेन्स का प्रश्न है, तो विधिक रूप से सरकार का हित अथवा लोक नीति के अन्तर्वलित होने पर ही रेफरेन्स किया जाना न्यायोचित है। आर0आर0टी0 2010 (1) पेज 563 स्टेट आफ राजस्थान बनाम श्री भगवानदास चेरिटेबल ट्रस्ट में यह व्यवस्था प्रदान की है कि ''प्राईवेट पक्षकारों के बीच नामान्तरकरण के सम्बन्ध में विवादि–सरकार का हित अथवा लोक नीति के अन्तर्ग्रस्त होने का प्रश्न नहीं – नामान्तरकरण को साक्ष्यांकित करने के आदेश के विरूद्ध अपील लम्बित है, निर्णीत रेफरेन्स पोषणीय नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग नीजि पक्षकारों के मध्य विवादित प्रश्न के निराकरण हेतु उपयोग नहीं किया जा सकता और रेफरेन्स मात्र उन्ही प्रकरणों में किया जाना न्यायोचित है, जिससे राज हित प्रभावित होते हो अथवा लोक नीति के विरूद्ध हो। रेफरेन्स प्रक्रिया का उपयोग नीजि खातेदारों के अधिकारों की पुर्नस्थापना हेतु नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 1977 पेज 461, आर0आर0डी0 1980 पेज 656 व 603 तथा आर0 आर0डी0 1991 पेज 101 में यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि नीजि प्रकरणों के रेफरेन्स प्रस्तुत किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त न्यायिक सिद्धान्त प्रकरण हाजा पर पूर्ण रूप से चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में भी एक प्राईवेट पक्षकार द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें किसी प्रकार का राजकीय हित अथवा लोक नीति का प्रश्न अन्तर्वलित नहीं पाया जाता है। तद्नुसार रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं पाया जाता हैं।

अति0 जिला कलेक्टर, पाली

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज़ किया जाता हैं। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/01/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली